न्यायालय अवर न्यायाधीश

सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं0– 46 सन् 2017

उमरावती देवी.....वादिनी

बनाम

नीरज कुमार व अन्य.....प्रतिवादीगण

दिनांक– 16.04.2021

उभय पक्ष अनुपस्थित है। उचित पैरवी करें। विगत तिथि को उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को प्रतिवादी सं0 2 की ओर से दाखिल रिकॉल आवेदन पर सुना। आज अभिलेख आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

प्रतिवादी सं0 2 की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 04.02.2020 में कथन है कि वादी के साक्ष्य के पश्चात् प्रतिवादीगण को साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 17.07.2018 को समय नियत की गई। प्रतिवादी की ओर से दिनांक 30.08.2019 और 14.10.2019 को दो स्वतंत्र साक्षियों का साक्ष्य प्रस्तुत किया गया। दिनांक 06.01.2020 को प्रतिवादी का साक्ष्य बंद कर दिया गया है। प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी सं0 2 संघर्ष कर रहे हैं। उनका साक्ष्य नहीं हो पाया है और प्रतिवादी का कागजात भी प्रदर्श नहीं हो पाया है। अतः दिनांक 09.12.2019 को प्रतिवादी के साक्ष्य बंद करने का आदेश को वापस लेते हुए प्रतिवादी को साक्ष्य का अवसर प्रदान किया जाए।

वादी की ओर से दिनांक 17.02.2020 को प्रतिउत्तर दाखिल किया गया जिसमें वादी का कथन है कि प्रतिवादी के साक्ष्य कई तिथियों तक प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण दिनांक 09.12.2019 को प्रतिवादी का साक्ष्य बंद करते हुए वाद बहस हेतु निर्धारित की गई। बहस प्रारंभ हो जाने के बाद प्रतिवादी के द्वारा यह रिकॉल आवेदन किया गया है जो स्वीकार होने योग्य नहीं है। अतः प्रतिवादी के आवेदन को खारिज किया जाए। अभिलेख का आवलोकन किया। अभिलेख

के अवलोकन से विदित है कि वादी का साक्ष्य दिनांक 04.07.2019 को बंद किया गया है। उसके पश्चात् दिनांक 11.07.2019 को प्रतिवादी को साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिया गया है। प्रतिवादी को दिनांक 23.12.2019 तक साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु कई अवसर प्रदान किया गया। परंतु प्रतिवादी की ओर से लगातार कई तिथियों तक साक्ष्य प्रस्तुत न करके, उनके द्वारा सम्यावेदन दिया गया। परंतु दिनांक 23.12.2019 को पुनः प्रतिवादी की ओर से पर्याप्त अवसर दिए जाने के पश्चात् भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण उनका साक्ष्य न्यायालय द्वारा बंद कर दिया गया और अभिलेख बहस हेतु नियत किया गया। बहस के दौरान ही प्रतिवादी की ओर से यह रिकॉल आवेदन दाखिल किया गया है। प्रतिवादी की ओर से मात्र दो साक्षियों का साक्ष्य हेतु प्रस्तुत किया गया है। ऐसी परिस्थिति में न्यायहित में प्रतिवादी की ओर से दाखिल रिकॉल आवेदन को मोबलिक 500/– रूपये खर्चा के साथ स्वीकृत किया जाता है। प्रतिवादी को निर्देश दिया जाता है कि वे खर्च की राशि वादी को प्रदान कर प्रस्तुत वाद में साक्ष्य प्रस्तुत करें।

वाद दिनांक 25.06.2021 को प्रतिवादी की ओर से साक्ष्य प्रस्तुतिकरण हेतु।

सब जज

सोनपुर, सारण।